न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : सन 2018

अनवान :–

1. महावीरसिह पुत्र रामसिह जाति राजपुत साकिन रायसिहपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. रामसिह पुत्र भोमसिह जाति राजपुत निवासी रायसिहपुरा तहसील नोहर ।
2. गंगासिह 3 मानसिह 4 गजेन्द्रसिह पि0 रामसिह राजपुत साकिन रायसिहपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
5. उम्मेद कंवर 6 नरेश कंवर पुत्रीया रामसिह जाति राजपुत साकिन रायसिहपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 24.12.19

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा रायसिहपुरा के खाता संख्या 138/139 के खसरा न 267/3 की 12.3430हैक भूमि जिसके रामसिह वल्द भोमसिह खातेदार काश्तकार दर्ज था वादी का दादा भोमसिह के देहान्त होने के बाद विरास्तन से उनके पुत्रो पर औद हुई है एवं बाद में उनके पुत्रों के द्वारा खाता विभाजन करवाने पर प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में रोही मौजा रायसिहपुरा क`खाता संख्या 138/139 के खसरा न0 267/3 की 12.3430हैक भूमि हिस्से में आई है

वाद भूमि पूर्व में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा भोमसिह के देहान्त होने के बाद विरास्तन से उनके पुत्रों पर औद हुई और वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 को रोही मौजा रायसिहपुरा क`खाता संख्या 138/139 के खसरा न0 267/3 की 12.3430हैक भूमि हिस्से में आई है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति हे जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का बराबर का हक हिस्सा है तथा वादी की बहने प्रतिवादी संख्या 5 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाईयों वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के पक्ष में किया जा चुका है इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 काफी वृद्व होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 ने भी अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या ,2 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

SZaidi

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

visit

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1, ता 6 को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा एवं उसके पिता के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,ता 6 का बराबर का हक हिस्सा है तथा वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ,5 ता 6 ने य अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ,5 ,6 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जो शामिल मिसल है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि पूर्व में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के पिता के नाम से दर्ज हुई है अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 के नाम विरास्तन से भूमि दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति है । हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का बराबर का हक हिस्सा होता है जिसकी वादी धोषणा करवा पाने का अधिकारी है तथा वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ,5 ता 6 जो वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में उनके दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही हे व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है इसप्रकार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 , ता 6 की आपसी सहमति के आधार पर वाद वादी काबिल डिक्री है। किन्तु प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 ने अपने हकों का त्याग करने के कारण राज्यहकों को सुरक्षित रखने हेतु स्टाम्प डयूटी कायम की जानी उचित है।

अतः वाद वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की सहमति के आधार पर काबिल डिक्री होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि वादी के पास रोही मौजा रायसिहपुरा के खाता संख्या 138/139 के खसरा न0 267/3 की 12.3430हैक भूमि में वादी एवं प्रतिवादी 2 व 3 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय आदेश के सलग्न 5000/–अखरे रूपये पाचं हजार रूप्ये का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहन मुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 24.12.18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official